Social Welfare Department, Punjab

2287. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri Satyapal Dang, Ex-M.L.A. Punjab, had written a letter dated the 10th September, 1988 bringing to the notice of the then Governor of Punjab a big scandal involving Rs. One crore or so in the Pension Section of the Social Welfare Department of Punjab;

(b) whether it is also a fact that four specific cases given by Shri Dang were not enquired into, but found to be correct and as a consequence thereof, two Social Welfare Officers and two Accountants were suspended and criminal cases registered against them;

(c) whether it is a fact that Shri Dang had written further letters to the Governor pointing out hundreds of such cases and inadequate action being taken by Government thereon; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Unauthorised public school in Sarita Vihar

2288. SHRI CHATURANAN MISHRA: Wil the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that an unauthorised public school has come up overnight called Ratnatraya Shiksha Evam Shodh Sansthan, in the only available lawn in the area in the middle of Pocket-A, Sarita Vihar (SFS);

(b) if so, whether any complaint has been received from the residents of the said area; and

(c) what is the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) Delhi Development Authority have reported that a plot of land measuring 800 sq. mts. earmarked as Nursery school site in the approved layout plan of Sarita Vihar, Pocket A has been allotted to Ratnatraya Education Research Institute for construction of Nursery school on the recommendation of the Directorate of Education of Delhi Administration in accordance with the prescribed policy and, according to the records of the DDA, no complaint has been received in this regard.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना का कार्यान्वयन

2289. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

(घ) 31 दिसम्बर, 1989 तक इस परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(ङ) इस संबंध में क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन को

लागू करने, समन्वय तथा मानिटरिंग करने के लिए, मार्च, 1985 में संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था। बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना (संदर्श 2000 ए० डी०) स्वीकृत की है यह योजना वैधानिक रूप से जनवरी, 1989 में लागू की गयी थी।

(घ) और (ङ) आवासीय, वाणिज्यिक औद्योगिक और अधसंरचना विकास, जिसमें 6565 एकड़ भूमि सम्मिलित है, की 50 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। कुल 6105 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहण की गयी है और अब तक 31 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 31 दिसम्बर, 1989 तक इन योजनाओं पर कुल 117.63 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष योजना

2290. **श्री अजीत जोगी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए वर्तमान में लागू समेकित जनजातीय विकास परियोजना संबंधी उप-योजना के स्थान पर कोई अन्य विशेष योजना को लागू करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में इस योजना का स्वरूप क्या होगा और इसके अधीन कौन-कौन से क्षेत्रों को लिए जाने की संभावना है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी/नहीं परन्तु 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति के विकास तथा कल्याण के लिए कार्यदल से आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत निधियों के परिमाणन के लिए नई व्यवस्था की सिफारिश की है। राज्य योजना में आदिवासी उपयोजना के लिए अलग से परिव्यय निर्धारित किया जाएगा तथा आदिवासी विकास विभाग को दिया जाएगा। इन्हें उनके द्वारा तैयार की गई योजनाओं/स्कीमों का अवलोकन करने, आदिवासी जनजातियों के विकास के लिए राज्य क्षेत्रीय विभागों को आवंटित किया जाएगा। निधियों के परिमाणन की प्रक्रिया में इस परिवर्तन के बाद भी आदिवासी उप-योजना का नामावली जारी रहेगी। इसी प्रकार आदिवासी उपयोजना के अभिन्न अंग के रूप में समेकित आदिवासी विकास योजना भी जारी रहेगी। सिफारिश कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भेज दी गई है।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1988 में यह निर्णय लिया था कि आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत समस्त आवंटन (जो राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होगा) आदिवासी, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को सौंपा जाएगा। तब वह इसे विभिन्न विभागों को आवंटित करेगा। आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है राज्य स्तर तथा जिला स्तर योजनाएं, तथापि निर्णय को पूरी तरह कारगर बनाने के लिए राज्य को अभी निर्णय लेना है।

जवाहर रोजगार योजना

2291. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री 22 दिसम्बर, 1989 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 16 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना को नया रूप देने के संबंध में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिवर्तित रूप में विभिन्न राज्यों के संबंध में, और खासतौर से मध्य प्रदेश के संबंध में इसका वित्तीय और भौतिक ढांचा क्या होगा ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): (क) से (ग) 22 दिसम्ब